न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 775 / 2023

अनवान : –

1. नरेश कुमार पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी 26 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. कुंतो देवी पुत्री ईश्वरराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. कमला पत्नी गोपालराम जाति जाट निवासी 26 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़।
5. प्रियंका पुत्री गोपालराम जाति जाट निवासी निवासी 26 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 12/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 154 / 142 की कुल 23.9080 हैक्ट भूमि में से 1423 / 5977 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि बाबत वादी के पिता गोपालराम व प्रतिवादीया स0 1 के माता पिता द्वारा दिनांक 14.03.2018 को इकरारनामा बाबत घेरलू बंटवारा जमीन का समझौता हुआ था जिसके मुताबिक रोही मौजा सिरंगसर की 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीया स0 1 की माता रूकमादेवी से वादी के पिता गोपालराम के नाम दर्ज होनी थी। वादी के पिता गोपालराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 ता 5 कानूनी वारिस है तथा प्रतिवादी स0 1 की माता रूकमणी का देहान्त हो चुका है जिसके देहान्त से पूर्व रूकमणी ने वाद भूमि की एक वसीयत प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में करवाई थी। रूकमणी देवी ने उक्त भूमि की वसीयत विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में करवाई थी जबकि उक्त वाद भूमि मुताबिक बाहमी बंटवारा वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 ता 5 के पिता गोपालराम के कब्जा काश्त की भूमि थी व मृत्यु के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 ता 5 बहिब काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे [illegible] की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे [illegible] दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:50:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादी स0 1 उपस्थित नही अतः प्रतिवादी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति इकरारनामा बाबत घरेलू जमीन बंटवारा पेश व जमाबंदी गांव खिम्पा वाली तहसील फाजिल्का पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 154/142 की कुल 23.9080 हैक्ट भूमि में से 1423/5977 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें। उक्त भूमि बाबत वादी के पिता गोपालराम व प्रतिवादीया स0 1 के माता पिता द्वारा दिनांक 14.03.2018 को इकरारनामा बाबत घेरलू बंटवारा जमीन का समझौता हुआ था जिसके मुताबिक रोही मौजा सिरंगसर की 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीया स0 1 की माता रूकमादेवी से वादी के पिता गोपालराम के नाम दर्ज होनी थी। वादी के पिता गोपालराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 ता 5 कानूनी वारिस है तथा प्रतिवादी स0 1 की माता रूकमणी का देहान्त हो चुका है जिसके देहान्त से पूर्व रूकमणी ने वाद भूमि की एक वसीयत प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में करवाई थी। रूकमणी देवी ने उक्त भूमि की वसीयत विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में करवाई थी जबकि उक्त वाद भूमि मुताबिक बाहमी बंटवारा वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 ता 5 के पिता गोपालराम के कब्जा काश्त की भूमि थी व मृत्यु के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 ता 5 बहिब काबिज है। इसी अनुसार वाद वाद डिक्री किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 154/142 की कुल 23.9080 हैक्ट भूमि में से 1423/5977 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 154/142 की कुल 23.9080 हैक्ट भूमि में से 1423/5977 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें। उक्त भूमि बाबत वादी के पिता गोपालराम व प्रतिवादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:30:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स0 1 के माता पिता द्वारा दिनांक 14.03.2018 को इकरारनामा बाबत घेरलू बंटवारा जमीन का समझौता हुआ था जिसके मुताबिक रोही मौजा सिरंगसर की 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीया स0 1 की माता रूकमादेवी से वादी के पिता गोपालराम के नाम दर्ज होनी थी। वादी के पिता गोपालराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 ता 5 कानूनी वारिस है तथा प्रतिवादी स0 1 की माता रूकमणी का देहान्त हो चुका है जिसके देहान्त से पूर्व रूकमणी ने वाद भूमि की एक वसीयत प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में करवाई थी। रूकमणी देवी ने उक्त भूमि की वसीयत विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में करवाई थी जबकि उक्त वाद भूमि मुताबिक बाहमी बंटवारा वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 ता 5 के पिता गोपालराम के कब्जा काश्त की भूमि थी व मृत्यु के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 ता 5 बहिब काबिज है। वादी द्वारा प्रस्तुत बंटवारानामा के अनुसार उक्त वाद भूमि वादी के नाम दर्ज करवाने हेतु सहमति बनी थी लेकिन मुताबिक सहमति के वादी के नाम भूमि दर्ज नही हुई है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 154/142 की कुल 23.9080 हैक्ट भूमि में से 1423/5977 हिस्सा भूमि में से 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:30:36 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 775/2023

अनवान : –

1. नरेश कुमार पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी 26 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. कुंतो देवी पुत्री ईश्वराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. कमला पत्नी गोपालराम जाति जाट निवासी 26 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़।
5. प्रियंका पुत्री गोपालराम जाति जाट निवासी निवासी 26 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 775 सन 2023 निर्णय दिनांक 12/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 154/142 की कुल 23.9080 हैक्ट भूमि में से 1423/5977 हिस्सा भूमि में से 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:30:36 IST
Reason: SelfAttested